

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnuk d 27-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

07 okjMh vfhk; ä fxj rkrkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0नगर पुलिस ने 05, थाना तरबगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voYk 'kjk ds fu"d"kZk] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk; bkgh&

01- Fkkuk ekrhxat }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. श्रीमती अनीता पत्नी जय मंगल निवासी ग्राम केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना-मोतीगंज जनपद-गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-302/22, 02. चुन्नूलाल पुत्र स्व नानमून पासवान नि0 ग्राम केवलपुरा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-303/22, 03. श्रीमती ननका पत्नी स्व0 नानमून नि0ग्राम ग्राम केवलपुरा मौजा पेड़ारन थाना-मोतीगंज जनपद-गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-304/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk ij l ij }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. राघवेन्द्र पुत्र ननके निवासी ग्राम शिवगढ़ (केवटन पुरवा) थाना-परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-357/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk rjcxat }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. भारत पुत्र नकछेद निवासी चन्दसुहा बनगाव थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-455/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04- Fkkuk dVjkcktkj }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. अंकित कुमार पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम पूरे दीक्षित मौजा कलवारी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-507/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05- Fkkuk uokcxat }kjk dh x; h dk; bkggh&

01. सुनील सिंह पुत्र श्याम नारायण सिंह उर्फ मोटे निवासी ग्राम सुखवापुर बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 494/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06- Fkkuk dk0uxj }kjk dh x; h dk; bkggh&

01. शिव कुमार सोनकर पुत्र स्व० राम लाल निवासी रेहरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-556/22, 02. रामऔतार सोनकर पुत्र राम बहोर सोनकर निवासी ग्राम रेहरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-557/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।